कार्यालय एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सराडा ,सलुम्बर , राजस्थान

खुली निविदा के लिए निविदा की शर्तें व निर्देश

1. निविदादाताओं को निविदा सुचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार तकनीकी बिड को सही तरीके से पूर्ण रूप से भरकर वांछित दस्तावेजों सहित प्रत्येक पृष्ट पर हस्ताक्षर कर तकनीकी निवेदा कवर में सीलबंद करावें |

2. निविदादाता द्वारा –

1. निविदा शुल्क 200/- रुपये का (डी.डी./ चेक द्वारा) **एकलव्य मॉडल आवासीय विधालय सराडा** के पक्ष में जमा करना होगा |
2. धरोहर राशि :- अनुमानित लागत राशि का 2 प्रतिशत (डी.डी./ चेक द्वारा) **एकलव्य मॉडल आवासीय विधालय सराडा** के पक्ष में जमा करना होगा |

3. वित्तीय दरे तकनीकी बिड के साथ वाले प्रपत्र "वित्तीय बिड"में भरी जानी है |
4. तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेंगी तथा असफल निविदादाता की अमानत राशी मांग पर नियमानुसार लौटा दी जावेगी|
5. निविदा प्रारूप स्याही या टंकण से भरा जावेगा | पैन्सिल से भरी गयी निविदा पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जावेगा| निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अंत में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा |
6. विधि मान्यता : निविदा दरें वित्तीय बिड को खोले जाने के दिनांक से 90 दिवस की अवधि के लिए विधिमान्य हों |
7. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी भी भाग को किसी एजेंसी के लिए नहीं सौपेंगा या उप-भाग (सब लैट) पर नहीं देगा|
8. करार व प्रतिभुति निक्षेप (Agreement and Security Deposit)
   1. सफल विविदादाता को स्वीकृत आदेश के 7 दिन के भीतर 100/- रुपये मूल्य के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा | सफल विविदादाता की दर का वार्षिक आंकलन कुल मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी | प्रतिभूति राशि डी.डी./ रेखांकित चेक द्वारा **र एकलव्य मॉडल आवासीय विधालय सराडा जिला सलुम्बर** के नाम जमा कराई जा सकेगी | यह प्रतिभुति प्रेषण के उस दिनांक जिसको निविदा को स्वीकार किये जाने की सुचना उसे दी गयी है, 7 दिन के भीतर जमा कराई जावेगी |
   2. निविदा के समय जमा कराई गयी बयाना राशि को प्रतिभूति राशि के लिये समायोजित किया जा सकेगा |
   3. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा |
9. प्रतिभुति निक्षेप का समपहरण – प्रतिभुति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलो में समपहृत्र (Forfeit) कर लिया जावेगा –

(i)जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया है |

(ii)निविदादाता संतोषजनक ढंग से कार्य करने में असफल रहा हो |

(Iii)प्रितिभुति निक्षेप को समपहृत्र (Forfeit) करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्ण नोटिस दिया जावेगा |

(iv)इस सम्बन्ध में निविदा कमेटी का निर्णय अंतिम होगा |

10. करार पत्र को पूर्ण करने का समस्त व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा।

11 . भुगतान -

1. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
2. महीने में एक बार बिल लिये जायेंगे एवं बिल के साथ इस कार्यालय द्वारा जारी कार्य संतुष्टि प्रमाण पत्र जो कि संस्थाप्रधान से प्राप्त कर संलग्न करना आवश्यक होगा। जिसका भुगतान PFMS द्वारा एजेन्सी/ठेकेदार को ऑनलाईन किया जावेगा। विलम्ब से भुगतान पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

3. विवादास्पद मामलों में निविदादाता को देय राशि का 25 प्रतिशत भुगतान को रोका जाकर शेष राशि का भुगतान किया जावेगा।

12 . निविदादाता द्वारा सेवा प्रदाय में दोषी पाये जाने अथवा किसी भी कार्य में असफल पाये जाने पर संस्थाप्रधान द्वारा उक्त कार्य के लिये वैकल्पिक व्यवस्था (Risk & Cost) की जावेगी, जिसका समस्त अतिरिक्त भार/राशि निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा अर्थात निविदादाता को होने वाले आगामी बिलों के भुगतान या अमानत राशि से वसूली जावेगी।

13 . निविदादाता की किसी भी शर्त को मानने के लिये विभाग बाध्य नहीं होगा। यदि निविदादाता कोई ऐसी शर्त करता है जो इन शर्तों के विरोधाभासी हो तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप से कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा |

14 . किसी भी निविदा को स्वीकार / अस्वीकार निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रदान करेगा

1. यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदार विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति।
2. यदि भागीदारी फर्म, रजिस्टार ऑफ फर्म्स के पात्त पंजीकृत हो तो पंजीकरण संख्या एवं उसकी प्रमाणित प्रति।
3. एकमात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पत्ता, मोबाईल नम्बर।
4. कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्टार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

15 . यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation) आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामलों को उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर को भेजा जावेगा। जो कि विवाद के लिये एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिटटर) के रूप में सम्बद्ध होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

16 . समस्त विधि कार्यवाही का न्यायक्षेत्र जिला-SALUMBER (राजस्थान) होगा।

17 . किसी भी निविदा दरों को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति का होगा।

18 . निविदाकार की ओर से लगाई गयी कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी|

19 . अनुबन्ध की अवधि निविदा स्वीकार करने की दिनांक से 12 माह के लिये मान्य होगी। कार्यादेश में अंकित दिन और अपेक्षित निर्दिष्ट स्थानों पर कार्य उपलब्ध कराना होगा।

20. यदि निविदादाता के कर्मचारी कार्य करने के दौरान विद्यालय की किसी भी चल-अचल सम्पत्ति को नुकसान पहुचाता हैं. तो उसकी वसूली ठेकेदार को देय भुगतान / प्रतिभूति राशि में से की जावेगी।

21. समय-समय पर कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों की निविदादाता को पालना करनी होगी।

22. ठेका श्रम विनियम एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 एवं अन्य अधिनियमों की पालना की समस्त जिम्मेदारी सम्बंधित एजेन्सी की होगी।

23. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय -समय पर जारी निर्देश/परिपत्र/नियम इस निविदा एवं अनुबन्ध पर प्रभावी होंगे|

24. समान दरें होने पर अनुभवी ठेकेदार को वरीयता दी जावेगी।

25. यथा सम्भव स्थानीय लोगों को कार्य पर नियोजित करना होगा।

26. स्थानीय विद्यालय में सामान लाने या ले जाने का किराया निविदादाता को स्वयं वहन करना होगा ।

27. निविदादाता का जहां व्यवसाय स्थित है, यदि प्रचलित बिक्रीकर अधिनियम GST/VAT/TIN के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, तो वह निविदा में भाग लेने का पात्र नही है। बिक्रीकर पंजीयन संख्या, टिन नं. का उल्लेख किया जाना चाहिए | इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

28. अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कारन बताये सम्पूर्ण निविदा अस्वीकार करने का अधिकार होंगा |

29. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरे 12 माह तक मान्य रहेंगी | सत्र के मध्य मे दरों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा । फर्म अपनी प्रस्तुत दरों पर सामान आपूर्ति के लिए बाध्य रहेगी |

30. निविदादाता द्वारा दी गयी दरों के स्वीकृत होने पर उन दरों पर आपूर्ति की गयी सामग्री का भुगतान करने हेतु दो प्रतियों में प्रस्तुत करने के पश्चात् नियमानुसार बिल की जांच कर कटौती योग्य कर अथवा अन्य कटौती योग्य कुल राशि काटने के पश्चात निविदादाता को प्रदान किया जायेगा|

1. लाने व ले जाने का कोई अतिरिक्त किराया नहीं दिया जायेगा तथा समय पर सामग्री पहुँचाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी|
2. धुलाई व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जायेंगा।
3. छात्र संख्या अनुसार ही धुलाई व्यवस्था का कार्यदेश दिया जायेगा, छात्रावास अधीक्षक से प्राप्त निर्देशानुसार ही धुलाई व्यवस्था का कार्य किया जायेगा|
4. कार्यादेश की पालना तय समय में करनी होंगी|
5. कपडे मैले या कम होने पर राशि काट ली जायेगी|
6. शेष शर्ते यथावत रहेंगी|

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम :-

मय सील